पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 255/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 19.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 19.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयीः-

01- थाना मुबारकपुर: अवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अवैध असलहा रखने व बिक्री करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.07.2024 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव मय हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति बम्हौर निबी खुर्द के तरफ से पैदल आ रहा है जिसके पास अवैध देशी तमंचा है। इस सूचना पर उ0नि0 प्रमोद कुमार मय हमराह द्वारा बम्हौर अण्डर पास से अभियुक्त मो0 कैफ पुत्र परवेज अहमद निवासी ग्राम मिल्लतनगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 20 वर्ष को 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 00.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 315/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी- 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 315/2024 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम– उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, का0 नीरज कुमार, का0 सर्वेश कुमार, का0 सतेन्द्र यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

02- थाना रौनापार: युवती को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 18.08.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना रौनापार पर लिखित तहरीर दिया गया था कि दिनांक 10.08.24 को भोर मे वादिनी की पुत्री को अभियुक्त अमन कुमार पुत्र शंकर राम निवासी खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 342/24 धारा 137(2)/87 BNS पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- जनपद में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.08.2024 को उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमन कुमार पुत्र शंकर राम सा0 खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को भीमबर टैक्सी स्टैण्ड से समय करीब 12:45 बजे गिरफ्तार कर युवती को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 342/24 धारा 137(2)/87 BNS थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- अमन कुमार पुत्र शंकर राम सा0 खानका थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार, का0 सुमित कुमार, का0 आनन्द कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।